वीरेन्द कवर बनाम राजस्थान सरकार
प्रकरण संख्या 94 / 2020
धारा 136

तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए

11/7/2021

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 94 / 2020 वीरेन्द कवर बनाम राजस्थान सरकार अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम वास्ते रेकर्ड दुरस्ती हेतु प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये अप्रार्थी को नोटिस प्रेषित कर जाच रिपोर्ट मंगवाई गयी। बहस प्रार्थना पत्र पर सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया गया एवं सरहद मौका रोहिचा खुर्द पटवार क्षेत्र पीपरली भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र धुन्धाडा तहसील लूणी के खसरा नं. 106 रकबा 50 बीघा किस्म द्वितीय की कृषि भूमि आई हुई है। जिसमे प्रार्थीया को बख्शीश अनुसार आया हिस्सा यानि 25 बीघा भूमि स्वामित्व अधिकार व कब्जा काश्त की भूमि है। प्रार्थीया के पिता प्रेमसिंह ने अपने जीवन काल मे अपनी दोनो पुत्रिया मोहनकंवर व प्रार्थीया वीरेन्द्र कंवर जिनमें घर परिवार मे स्नेह व प्रेम से वीर कंवर के नाम से पुकारा जाता है।

प्रार्थीया के पिता द्वारा मोहन कंवर व प्रार्थीया को जरिये बख्शीश खसरा नं. 106 की 50 बीघा भूमि जरिये पजीकृत दस्तावेज बख्शीश करने के पश्चात ग्राम पंचायत पीपरली द्वारा सर्वसम्मति नामान्तरकरण संख्या 213 विधिवत स्वीकृत खसरा नं. 106 की 50 बीघा कुल क्षेत्रफल की भूमि रेकर्ड खातेदार मोहनकंवर, वीर कंवर पुत्रीयां प्रेमसिंह के नाम से रेकर्ड खातेदारी दर्ज हुई। प्रार्थीया वीरेन्द्र कंवर का पूरा व सही नाम वीरेन्द्र कंवर ही हैं। घर परिवार में प्रार्थीया वीरेन्द्र कंवर को छोटे नाम वीर कंवर के नाम से पुकारा जाता था। बख्शीशनामा निष्पादन के समय भूलवश प्रार्थीया का नाम वीरेन्द्र कंवर की जगह वीर कंवर नाम गलत इन्द्राज हो गया। नामान्तरकण संख्या 213 भी उसी नाम से मोहनकंवर वीर कंवर पुत्रीयां प्रेमसिंह रेकर्ड खातेदारी इन्द्राज की गई।

प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ सही दस्तावेज प्रस्तुत किये जिनमें आधार कार्ड, पहचान पत्र(वोटर कार्ड),पेन कार्ड,बैंक डायरी,राशन कार्ड की फोटु काफी दस्तावेज प्रस्तुत किये जो सही दस्तावेज वीरेन्द्र कंवर पत्नी मालमसिंह के नाम से दर्ज हैं।

पत्रावली पर सलग्न तहसीलदार लूणी के रिपोर्ट कमांक भू0अ / 2021 / 1433 दिनांक 14 / 07 / 2021 की जांच रिपोर्ट के आधार पर ग्राम रोहिचा खुर्द के खसरा नं. 106 रकबा 50 बीघा नामान्तरकण संख्या 213 के तहत प्रार्थीया का नाम बतौर खातेदार वीर कंवर पुत्रीयां मोहन कंवर दर्ज है। तत्पश्चात जमाबन्दी लेखन मे त्रुटि से वीरकवर का नाम धीरकवर दर्ज हो गया जो वर्तमान जमाबन्दी मे भी धीर कंवर यथावत चला रहा है तहसीलदार लूणी से रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीया का नाम दर्ज होना लिपिकीय त्रुटि है जिसे दुरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व तहसीलदार लूणी की जांच रिपोर्ट अनुसार भी धीर कंवर व वीरेन्द कंवर एक ही व्यक्ति के नाम होना प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश पारित किया जाता है। ग्राम रोहिचा खुर्द नामान्तरकण संख्या 213 दिनाक 05.11.1981 के अनुसार खसरा नं. 106 रकबा 50 बीघा में जमाबन्दी मे धीर कंवर के स्थान पर वीर कंवर नाम दर्ज किया जावें। तहसीलदार लूणी को तहरीर जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हों।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी